

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2
प्रपत्र संख्या 43ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
 - पता

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया- शाखा औरैया।

श्री ग्रीस कुमार वैश्य, जनपद न्यायाधीश, औरैया
जनपद न्यायालय औरैया।

- पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की समस्त राशि
- चालान की निश्चित राशि
- लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा शीर्षक की मुहर
- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

जनपद न्यायालय औरैया।

राजकीय वाहन इनोवा वाहन सं०- यू०पी० 79 जी 0257 से दि. 01.12.23 से दि. 04.12.23 तक चली कुल 1287 किमी० में 200 किमी० की छूट का लाभ न लेते हुए सम्पूर्ण 1287 किमी० का भुगतान रु 3.00 प्रति किमी० की दर से कुल धनराशि 3861/- जमा करने हेतु

0070-60-800-05

0070-60-800-05

मुख्य लेखा शीर्षक 0 0 7 0
उप मुख्य लेखा शीर्षक 6 0

लघु शीर्षक 8 0 0

उप शीर्षक 0 5
व्योरेवार शीर्षक
धनराशि अंको में
Rs. 3861/-
-
Rs. 3861/-

धनराशि शब्दों में-(रुपये तीन हजार आठ सौ इकसठ मात्र) योग-

Rs. 3861/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

Distric Judge

AURAIYA

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान संख्या 230004 केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ अंको में

दिनांक

जिस बैंक शाखा-0612
व्यक्ति-7485097
11 DEC 2023

प्राप्त किया अन्तरण
हस्ताक्षर
जोच किया

प्राप्त किया
उपकोषागार/बैंक की मुहर